राजस्व लोक अदालत

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 68 / 2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
बाबुलाल पुत्र ताजुराम जाति मेघवाल निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर।		1. मांगीलाल पुत्र बीजाराम 2. केसुराम पुत्र बीजाराम 3. सुरजाराम पुत्र बीजाराम जातियानमेघवाल,निवासीगण अलाय,तहसील व जिला नागौर 4 भंवरराम पुत्र हुक्माराम धूंधवाल जाति जाट निवासी धूंधवालो की ढाणी,अलाय तहसील व जिला नागौर 5 लिच्छमण पुत्र रुपाराम जाति मेघवाल निवासी रायधनु तहसील व जिला नागौर 6 देवीलाल पुत्र ताजुराम जाति मेघवाल निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर 7 सोहनलाल पुत्र ताजुराम 8 मघाराम पुत्र ताजुराम 9 मोहनराम पुत्र ताजुराम 10 कृष्णचन्द पुत्र आत्माराम जातियान हरिजन निवासीगण गोगेलाव तहसील व जिला नागौर 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसील नागौर

आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम वास्ते सीमाज्ञान एव पत्थरगड्डी करवाने।

आदेश

दिनांक :- 11.07.2016

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :-

1. यह है कि, प्रार्थी ग्राम अलाय तहसील व जिला नागौर का स्थाई निवासी हैं। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खेत हाल खसरा नम्बर 2155/1248 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद मौजा धूंधवालों की ढाणी तहसील नागौर स्थित है नकल खतौनी व नक्शा साथ पेश है।
2. यह है कि मूल खसरा नम्बी 1248 रकबा 37 बीघा था जिसका विभाजन हो रखा है जिसनें सें 2155/1248 प्रार्थी के कब्जासुद खातेदारी का है मगर नक्शा तरसीम नहीं होने से सभी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है।

3. यह है कि, प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खेत खसरा नम्बर 2155/1248 के चिपता ही पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1247 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा स्थित है जिसकी खतौनी साथ पेश है। उक्त खसरा नम्बर 1247 में भी बंटवाड़ा हो रखा है मगर नक्शा में तरमीम नहीं हुवा है जिससे सभी को पक्षकार बनाया गया है।

4. यह है कि, अप्रार्थीगण पिछले काफी समय से अपने खेत की पश्चिम माठ को प्रार्थी के खेत की पूर्वी माठ की तरफ सिरका कर नाजायज कब्जा कर रहे है, जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा नहीं करने का कहने व खेताय का नाप चोप करवाने का कहते है तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा आदि करने पर आमादा हो जाते है प्रार्थी द्वारा बार-बार मना करने पर भी नहीं मानते है बरसात का मौसम होते ही अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़ा करना शुरु कर देते है। मौके पर खून खच्चर करने पर आमदा हो जाते हैं। पूर्व में जुलाई 2012 मे उपरोक्त खेताय का नाप किया गया मगर तहसील नागौर से नाप रिपोर्ट की नकल के लिए आवेदन करने पर भी नाप रिपोर्ट की नकल प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व मे जब नाप करवाया तब प्रार्थी की खातेदारी की करीब 4.5 बीघा भुमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने नाजायज रुप सें अतिक्रमण करना पाया गया था। उक्त खसरा नम्बर 1247 का बंट होकर प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ चिपता भूभाग अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के बंटसुदा कब्जारुद खातेदारी का खेत है मगर नक्शा मे तरमीम नहीं होंने से सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया कर सभी की मौजूदगी में नाप चोप कर सीमाज्ञान करने व तदनुसार पत्थरगडडी करवाने हेतू विधिवत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है जिस हेतु तुरन्त आदेश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करे।

5. यह है कि, इस प्रकार अप्रार्थीगण नाजायज तौर पर बार-बार विधि विरुद्व तरीके से प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अतिकनण कर अपने खेत में मिलाने व प्रार्थी की उक्त भूमि लाठी के बल पर हड़पने पर आमादा होने से प्रार्थी को मजबूर होकर यह आवेदन वास्ते सीमाज्ञान करवाने व राजस्व कर्मचारीयों/अधिकारी के समक्ष मुड्डाबंदी (पत्थर रोप कर करवा कर) मुड्डाबंदी करवाने का आवेदन पेश किया जा रहा है।

6. यह है कि इस संबंध में श्रीमानजी ने तुरन्त आदेश नहीं दिया तो आगें बरसात का मौसम है मौके पर खून खच्चर की स्थिति पैदा हो जायेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की और भूमि को अपने खेत में मिलानें में कामयाब हो जायेगे व नाजायज कब्जा की गयी भूमि पर पुख्ता कब्जा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र का ओचित्य ही खत्म हो जायेगा। इसलिए सुविधा का संतुलन का भी तुरन्त नाप चोप कर सीमाज्ञान करवा कर मुड्डझबंदी करवाने में ही है।

7. यह है कि, प्रार्थना पत्र में तहसीलदार आवश्क पक्षकार होने के कारण उन्हे अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जा राहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सख्या 6 से 10 की ओर निम्न जवाब प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :-

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

बाबुलाल बनाम मांगीलाल
राजस्व प्रार्थना पत्र 68/2015

1 यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 सही हैं। यह सही है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खेत हाल खसरा नम्बर 2155/1248 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद मौजा धूंधवालो की ढाणी, तहसील व जिला नागौर स्थित है।

2 यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 सही है। यह सही है कि मूल खसरा नम्बर 1248 रकबा 37 बीघा था जिसका विभाजन हो रखा है जिसमें से 2155/1248 प्रार्थी के कब्जासुद खातेदारी का है मगर नक्शा तरमीम नहीं होने से सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है।

3 यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 सही है। यह सही है कि, प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खेत खसरा नम्बर 2155/1248 के चिपता ही पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1247 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा स्थित है जिसकी खतौनी साथ पेश है। उक्त खसरा नम्बर 1247 में भी बंटवाड़ा हो रखा है। मगर नक्शा में तरमीम नही हुवा है जिससे सभी को पक्षकार बनाया गया है।

4 यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 सही है । हम अप्रार्थीगण अपने खेतो की माठ प्रार्थी के खेत की पूर्वी माठ की तरफ नहीं सिरका रहे है अन्य अप्रार्थीगण के संबध मे तथ्य सही है। अन्य तथ्य अनुच्छेद भी सही होने से स्वीकार है।

5 यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5 सही है। यह सही है कि दीगर अप्रार्थीगण नाजायज तौर पर बार-बार विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिलाने व प्रार्थी की उक्त भूमि लाठी के बल पर हड़पने पर आमादा होने से प्रार्थी को मजबूर होकर यह आवेदन वास्ते सीमाज्ञान करवाने व राजस्व कर्मचारियो/अधिकारी के समक्ष मुड्डाबंदी (पत्थर रोप कर) करवा कर मुड्डाबंदी करवाने का आवेदन पेश किया जा रहा है।

6 यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 सही है।

7 यह है कि, आवेदन का पैरा संख्या 7 कानूनी होने से काबिल गौर अदालत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2100/1248 रकबा 14.09 बीघा व अप्रार्थीण व खातेदारी का खेत 1247 रकबा 52.18 बीघा मौजा धूंधवालो की ढाणी का मुस्तकिल पोइन्ट से सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2155/1248 रकबा 14.09 बीघा पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये जाते हैं। तहसीलदार नागौर के नाम तहरीर जारी हो।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.),नागौर

आदेश आज दिनांक 11.07.2016 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत में लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.),नागौर